झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग विधेयक, 2008

(सभा द्वारा यथापारित)

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग विधेयक, 2008

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय सूची

खण्ड ।

प्रस्तावना ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएँ ।
3. आयोग का गठन ।
4. आयोग के अध्ययन एवं सदस्यों का कार्यकाल ।
5. सेवा/संवर्ग/पद जिनकी नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा करेगी ।
6. अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्त्तें ।
7. आयोग का मुख्यालय एवं प्रशासी विभाग ।
8. चयन की प्रक्रिया ।
9. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
10. तृतीय वर्ग के पदों से संबंधित लंबित चयन कार्यों का अंतरण ।
11. वित्तीय प्रावधान ।
12. नियमावली बनाने की शक्ति ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग विधेयक, 2008

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वर्ग 'ग' के प्रावैधिक तथा अ-प्रावैधिक पदों की चयन की प्रक्रिया में एकरूपता लाने हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (झा०क०च०आ०) के गठन संबंधी विधेयक ।

प्रस्तावना ।-

चूँकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हो गई है और झारखण्ड लोक सेवा आयोग का दायित्व कई गुणा बढ़ गया है, इसलिए राज्य सरकार, निगमों, बोर्डों, प्राधिकारों एवं सरकार की अन्य एजेन्सियों के अंतर्गत वर्ग 'ग' की नियुक्तियों का दायित्व उठाने के लिए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के नाम से एक पृथक आयोग का गठन की त्वरित आवश्यकता महसूस की गई;

और, इसलिए कि फिटमेंट कमिटी ने अध्याय 7 की कंडिका 7.3.13 (डी) के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन (**Volume IV, Book-2**) में अनुशंसा की है कि कर्मचारी चयन आयोग की तरह एक आयोग के गठन की संभावना पर विचार किया जाय;

और, इसलिए कि इन परिस्थितियों में वर्ग 'ग' के पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के गठन के लिए एक अधिनियम अधिनियमित करना समीचीन है;

अत: भारत गणराज्य के 59वें वर्ष में झारखण्ड विधान-सभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।-**
   - (i) यह अधिनियम झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा ।
   - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
   - (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएँ ।-** इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो -
   - (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008;
   - (ख) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार;
   - (ग) ''आयोग'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग;
   - (घ) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष;

(ड.) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य;

(च) ''नियमावली'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनायी गई नियमावली ।

3. **आयोग का गठन** ।- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जायेगा :-

(क) अध्यक्ष - राज्य सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईप स्केल से अन्यून पंक्ति के न्यूनतम तीन वर्ष की अवशेष सेवा वाले एक पदाधिकारी ।

(ख) सदस्य - राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रुपये 14300-18300 (अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप वेतनमान) से अन्यून वेतनमान तथा न्यूनतम तीन वर्ष की अवशेष सेवा वाले अखिल भारतीय सेवाओं/राज्य सेवाओं के दो पदाधिकारी ।

(ग) अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति :- अध्यक्ष/सदस्यों का नियुक्ति प्राधिकार, राज्य सरकार होगी ।

4. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल** ।-

(i) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल, चार वर्षों अथवा वार्ध्यक्य सेवानिवृत्त होने तक जो भी पहले हो, का होगा ।

(ii) अध्यक्ष/सदस्य को प्रमाणित कदाचार के आरोप में राज्य सरकार के आदेश से हटाया जा सकेगा । परन्तु ऐसा करने के पूर्व संबंधित अध्यक्ष/सचिव को सुने जाने का एक मौका दिया जायेगा ।

5. **सेवा/संवर्ग/पद, जिनकी नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा करेगी** ।- आयोग राज्य सरकार के अधीन सभी सामान्य/प्रावैधिक/अप्रावैधिक सेवाओं/संवर्गो या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित समूह 'ग' के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा ।

6. **अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्त्तें** ।- अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्त्तें वही होगी जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

7. **आयोग का मुख्यालय एवं प्रशासी विभाग** ।- आयोग का मुख्यालय राँची में रहेगा । कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग आयोग का प्रशासी विभाग होगा ।

8. **चयन की प्रक्रिया** ।- राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से आयोग, विभिन्न सेवाओं/पदों के लिये चयन की प्रक्रिया का सुत्रीकरण करेगा ।

9. **शक्तियों का प्रत्यायोजन** ।- (i) प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के मामले में आयोग के अध्यक्ष राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

(ii) आयोग के अध्यक्ष एक सदस्य को परीक्षा नियंत्रक के कर्त्तव्य सौंप सकेंगे एवं दूसरे सदस्य को प्रशासनिक शाखा के कर्त्तव्य सौंपे जा सकेंगे ।

10. **तृतीय वर्ग के पदों से संबंधित लंबित चयन कार्यों का अंतरण ।-** धारा-5 में यथा उल्लिखित ऐसे पदों, जिनके संबंध में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि तक विज्ञापन प्रकाशित न किया गया हो, में नियुक्ति के लिए सभी चयन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा । झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निर्गत किए जा चुके पदों के लिए चयन की प्रक्रिया झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्ण की जाएगी ।

11. **वित्तीय प्रावधान ।-** आयोग के कार्यालय और आयोग के कार्य संपादन में होने वाला संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा । आयोग, विभिन्न परीक्षाओं/चयन के आयोजनों के लिये अभ्यर्थियों से शुल्क प्राप्त कर सकेगा जो आयोग द्वारा राज्य कोषागार में जमा किया जाएगा ।

12. **नियमावली बनाने की शक्ति ।-**

(i) इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति होगी ।

(ii) आयोग को राज्य सरकार के अनुमोदन से, विज्ञापनों का प्रकाशन, लिखित परीक्षाओं का संचालन, परीक्षाफलों का प्रकाशन, व्यक्तित्व परीक्षण/ साक्षात्कार, यदि कोई हो, के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु विनियमावली विरचित करने की शक्ति प्राप्त होगी ।

यह विधेयक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग विधेयक, 2008 दिनांक 25 सितम्बर, 2008 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 25 सितम्बर, 2008 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(आलमगीर आलम)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 41--50--24-9-2008--शनि मुण्डा ।